सादुलपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आंधी ने तबाही मचाई, वर्षों पुराने पेड़ उखड़े

आंधी से क्षेत्र में करीब 150 पोल टूटे, दीवारें गिरी, टीनशेड दूर खेतों में जाकर गिरे

सादुलपुर, (निसं)। सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से 70 किमी घंटे की रफ्तार से आई आंधी ने उपखंड क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में जगह-जगह बिजली के पोल व तार टूट गए, जिसके चलते बिजली आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ा गई। लोग रातभर से बिजली के लिए इस भीषण गर्मी में परेशान रहे। इसके अलावा तहसील मुख्यालय के पहाड़सर, गुलपुरा सहित अनेक गांवों में वर्षों पुराने पेड़ उखड़ गए। शंकरनाथ गौशाला राधा छोटी का टीनशेड आंधी से धराशाही हो गया एवं गौशाला की दीवार टूटकर दूर जा गिरी।

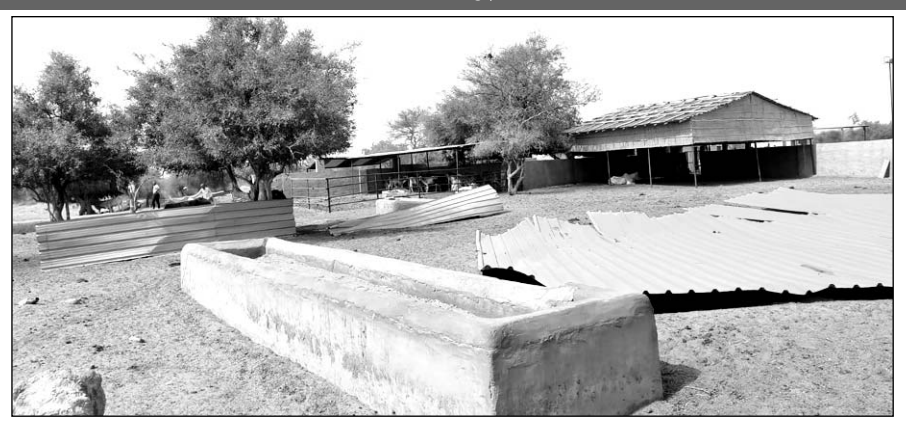

आंधी से गौशाला के टीनशेड धराशाही हो जाने से गायों को बाहर निकाला।

प्रदीप गोदारा पहाड़सर ने बताया कि उनके गांव में वर्षों पुराने पेड़ धाराशाही हो गए। सुरेश प्रजापत गुलपुरा ने बताया कि पेड़ टूटने से उनके गांव का रास्ता ही बंद हो गया। गौशाला कमेटी सदस्य संदीप पूनिया व मास्टर सोमवीर पूनिया ने बताया अंधड़ इतना तेज था कि गौशाला के टीनशेड धराशाई हो जाने से आनन-फानन में गायों को बाहर निकालकर राहत की सांस ली। इधर गोठ्या बड़ी के ओमप्रकाश मेघवाल ने बताया कि

- हरियाणा के निकटवर्ती गांवों में भी तेज आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ

बीती रात्रि इलाके में आये तेज आंधी तूफान से उनके खेत में लगे सोलर पैनल टूटकर दूर खेतों में जा गिरे, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है।

हरियाणा के निकटवर्ती गांवों में भी जबरदस्त तेज आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ। ग्रामीण नेतराम मेहरा ने बताया भयंकर तेज तूफान से रात्रि को गुल हुई बिजली शाम तक भी बहाल नहीं हो सकी। जिससे लोगों को गर्मी एवं उमस में भारी परेशानी हुई। लोग जब सुबह उठे तो घर के हर कोने-कोने में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी नजर आई, जिसे साफ-सफाई करने में भी घंटों खासी मशक्कत करनी पड़ी। राधा बड़ी राधा छोटी, भाकरां, सुधिवास, खैरु बड़ी, बीराण, बालाण, कामाण, भोजाण, जीराम बास आदि दर्जनों गांवों में तेज अंधड़ से खेतों में खड़े पेड़ धराशायी हो गये।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में 7 जून से 9 जून के दौरान बीकानेर और जोधपुर संभाग सहित उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में कुछ हिस्सों में तेज आंधी तूफान और हल्की से मध्यम बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अधिक तापमान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है।

आंधी के दौरान पेड़ टूटकर गिरने से मां-बेटी की मौत

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी उपखंड के बांसियाल में देर रात को आई आंधी के दौरान पेड़ टूटकर घर के बाहर सो रहे लोगों पर आ गिरा। इस दौरान हादसे में एक बच्ची व उसकी मां की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार चुरू जिले के उदासर प्रदीप कुमार मीणा अपने परिवार के साथ खेत साझेदारी में लेकर फसल उगाता था। उसने बांसियाल में सवाई सिंह का खेत बंटाईदारी में लेकर फसल करने के लिए यहां आया था। गुरूवार शाम को खाना खाने के बाद अपने परिवार के साथ घर के बाहर सो रहा था। इस दौरान रात करीब साढ़े नौ बजे तेज़ हवाओं के साथ आंधी शुरू हो गई। जब तक वे संभल पाते इससे पहले ही तेज हवा के साथ घर के पास खड़े खेजड़ी के पेड़ का हिस्सा टूटकर घर के बाहर सो रहे उसके परिवार के सदस्यों पर आ गिरा। इस दौरान उसने बड़ी मशक्कत कर परिवार के सदस्यों को पेड़ के टूटे हिस्से से बाहर निकाला तो उसकी पत्नी सावित्री (45) व उसकी बेटी काजल (11) घायल हो गई थी।

इस दौरान शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तथा पेड़ टूटकर गिरने से दोनों घायलों को खेतड़ी के राजकीय उप जिला अस्पताल में लाया गया, जहां डाक्टरों ने काजल पुत्री प्रदीप कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि सावित्री देवी पत्नी प्रदीप कुमार का पैर फ्रैक्चर होने पर उसे झुंझुनू रैफर कर दिया। इसके बाद सावित्री देवी की भी मौत हो गई। पीड़ित प्रदीप कुमार ने बताया कि वह तीन दिन पहले ही

- घर के बाहर सो रहे लोगों पर आंधी के दौरान पेड़ टूटकर आ गिरा था

बांसियाल में खेती करने के लिए अपने गांव से परिवार के साथ आया था। काजल उसकी बड़ी बेटी थी तथा दो बेटी व एक छोटा बेटा है।

शुक्रवार को अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए तथा लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को सस्पेंड करने की मांग की। राजकीय उप जिला अस्पताल में धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि देर रात को आई आंधी के दौरान बांसियाल में प्रदीप कुमार मीणा का परिवार घर के बाहर सो रहा था। इस दौरान खेजड़ी के पेड़ का हिस्सा टूटकर उनके ऊपर आ गिरा। इस दौरान हादसे में काजल पुत्री प्रदीप कुमार, सावित्री देवी पत्नी प्रदीप कुमार व दो बच्चे घायल हो गए थे। इस दौरान घायलों को निजी वाहनों में खेतड़ी के राजकीय उप जिला अस्पताल में लाया गया तो काजल को मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन सावित्री की हालत गंभीर होने पर रैफर किया गया था। इसके बाद सावित्री देवी की भी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे में दो छोटे बच्चे घायल हुए थे, जिनका सुबह तक अस्पताल स्टाफ की ओर से उपचार नहीं किया गया। सुबह ग्रामीणों के आने के बाद बच्चों का उपचार करवाया गया। घटना की सूचना पर तहसीलदार नीलम राज बंशीवाल मौके पर पहुंचे तो ग्रामीण उनसे लेट आने की बात पर उलझ गए तथा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।

मामले को बिगड़ता देख एसडीएम सविता शर्मा, सीएमएचओ डॉ. विनय गहलोत, बीसीएमओ डॉ. हरीश यादव अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक धरना नहीं उठाया जाएगा। इस दौरान अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस दौरान खेतड़ी, मेहाड़ा, खेतड़ीनगर व बबाई थानों का जाब्ता भी मौके पर बुलाया गया। धरने पर बैठे ग्रामीणों के बीच चार घंटे बाद समझौता हो गया। इसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई। एसडीएम सविता शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। जिस पर सीएमएचओ डॉ. विनय गहलोत की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। रात की ड्यूटी में लापरवाही की जांच की जाएगी। वहीं जो भी कर्मचारी दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने की बात पर सहमति बनी है। इसके बाद परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया।

शेखावाटी में धूलभरी आंधी से जनजीवन अस्त-व्यस्त

आंधी से बिजली के तार व पेड़ टूट गए और छप्पर आदि उड़ गए

चूरू में धूलभरी आंधी चलने से चारों ओर धूल का गुबार छा गया।

चूरू, (कासं)। शेखावाटी में शुक्रवार को धूलभरी आंधी चलने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। पिछली रात्रि को आई आंधी ने काफी नुकसान किया था। गुरूवार रात्रि को आई आंधी से बिजली के तार टूट गए, पेड़ टूट गए और छप्पर आदि उड़ गए।

शुक्रवार दोपहर तीन बजे आये अंधड़ ने एक बार फिर जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। आंधी के कारण काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा। वहीं तेज आंधी के बाद बिजली सप्लाई भी बाधित रही। जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, धूल का गुबार छा गया। ग्रहणियों के लिए आंधी जी का जंजाल बन गई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को आंधी 25 से 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आयी और शुक्रवार को सामान्यतया आंधी 10 से 18 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आयी और बीच-बीच में इसकी गति 20-25 किमी प्रति घंटा भी रही।

जालोर से वैभव की हार का कारण पूर्व सीएम गहलोत बता चुके हैं : पायलट

हारने की हम समीक्षा करेंगे और आने वाले चुनाव में अच्छे से मेहनत करेंगे : पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट

जालोर, (कासं)। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शुक्रवार को भीनमाल के विधायक डॉ. समरजीत सिंह की माता का स्वर्गवास होने पर उनके पैतृक गांव दांसपा शोक सभा में पहुंचे। सचिन पायलट ने विधायक डॉ. समरजीतसिंह की माता स्व. जसवंत कंवर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा विधायक डॉ. सिंह को ढांढसा बंधाया।

पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम का मूल्याकंन करे तो स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी दल को नहीं दिया है। जनता ने एक खण्डित जनादेश दिया है तथा जो भी सरकार बनेगी वह मिलीजुली सरकार बनेगी। इस चुनाव में कांग्रेस का संख्या बल दुगुना हो गया। जबकि भाजपा स्वयं अपने बूते पर स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा तक नहीं पहुंच सकी। देश की जनता का जनादेश इंडिया गठबंधन के साथ है और आने वाले समय में देश की जनता के लिए इंडिया गठबंधन मजबूती से काम करेगा। जालोर में पूर्व सीएम के पुत्र वैभव की हारने के कारण के प्रश्न पर बताया कि इस बारे में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने वैसे तो सीट से वैभव के हारने का कारण बता दिया है। लेकिन फिर भी हारने की हम समीक्षा करेंगे और आने वाले चुनाव में अच्छे से मेहनत करेंगे। वहीं प्रदेश में जहां जहां कांग्रेस हारी है उसकी भी समीक्षा कर आने वाले समय में उस जगह से सकारात्मक परिणाम लाये जायेंगे।

वहीं दूसरी ओर प्रदेश की राजनीति पर कहा कि राजस्थान में भाजपा का

भीनमाल स्थित दांसपा में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विधायक डॉ. समरजीतसिंह की माता के निधन पर शोक सभा में शिरकत की।

घमंड टूटा है। वहीं कांग्रेस ने राजस्थान में 11 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। सचिन पायलट ने कहा कि आने वाले समय में हम मिलकर काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने के साथ आने वाले सालों में सरकार बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। वहीं नीट परीक्षा को लेकर पायलट ने भाजपा सरकार पर उंगली उठाते हुए कहा कि नीट परीक्षा में जिस प्रकार से बच्चों को अंक दिये गये हैं, जिससे लगता है कि धांधली हुई है। नीट परीक्षा धांधली की जांच की जानी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आये हैं। आहोर में सवाराम पटेल, जालोर में अमीन मोयला, लक्ष्मीकांत सलीम ने पायलट का स्वागत किया। इसके बाद सचिन पायलट रानीवाडा विधायक रतन देवासी के साथ रानीवाडा होते हुए अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। इस दौरान बाडमेर के नवनिर्वाचित सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, पूर्व मंत्री हरिश चौधरी, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, रानीवाडा विधायक रतन देवासी, पूर्व मंत्री सुखराम विश्नोई, आहोर की कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी, जैसलमेर के पूर्व विधायक रूपाराम, समा बानो, पीसीसी सचिव महेन्द्रसिंह खेडी, सोमेन्द्र गुर्जर सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के भीनमाल विधायक डॉ. समरजीतसिंह की माता के निधन पर शोकसभा में शिरकत करने जालोर आगमन पर जगह-जगह स्वागत किया गया, लेकिन पूर्व सीएम गुट के लोग पायलट के दौरे के दौरान नजर नहीं आये। लोकसभा चुनाव में पायलट को पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव के नामांकन रैली से लेकर चुनाव प्रचार करने तक से दूर रखा था। पूर्व सीएम हमेशा से पायलट को अपना विरोधी मनाते आये तथा चुनाव में भी उनका विरोध साफ देखा गया। बाडमेर के नवनिर्वाचित सांसद उम्मेदाराम, पूर्व मंत्री हरिश चौधरी व हेमाराम चौधरी तक दांसपा पहुंच गये, लेकिन गहलोत गुट के नजदीकी नेता पायलट के आगमन पर नही पहुंचना चर्चा का विषय बना रहा।

निजी बस पलटने से 20 लोग घायल

गंभीर हालत की वजह से तीन यात्रियों को जयपुर रैफर किया

दौसा, (निसं)। जिले में मेहंदीपुर बालाजी के निकट ब्रह्मवाद के पास एक निजी बस शुक्रवार सुबह पलट गई। इससे बस में सवार 20 लोग घायल हो गए। घायलों को पहले सिकराय अस्पताल फिर दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत की वजह से तीन यात्रियों को जयपुर रैफर किया गया है। जबकि बाकी घायल यात्रियों का दौसा जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी यात्री चार धाम की यात्रा करके लौट रहे थे। इनमें सभी भीलवाडा के कोटडी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। यात्रियों ने बताया कि यह हादसा बस चालक को नींद की झपकी आने से की वजह से हुआ

- सभी यात्री चार धाम की यात्रा करके लौट रहे थे, बस चालक को नींद की झपकी आने की वजह से हुआ हादसा

है। घायल यात्रियों ने बताया कि वह सभी केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत चारधाम यात्रा करके लौट रहे थे। मेहंदीपुर बालाजी के पास अचानक चालक को नींद की झपकी आने की वजह से बस पलट गई जिसमें सवार यात्रियों में 20 लोग घायल हो गए, जिनमें एक 14 वर्षीय किशोर भी शामिल है। सभी का इलाज जिला अस्पताल में जारी है।

RajCOMP Info Services Limited (RISL)
C-Block, 1st Floor, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

RISL invites e-bids from the eligible bidders for the following:

NIB No./ Date/ Unique bid no.	Particulars	Estimated Cost/Bid Security	Start of sale /Last date
1847/07.06.2024 RIS2425SLOB 00017	RFP for Procurement of one year complete annual Technical Support (ATS) of OmniDocs, OmniScan Web & FTS of existing Newgen's DMS Solution and one onsite DMS Support Resource of OEM for one year	Rs. 58 Lakh Rs. 1.16 Lac	07.06.2024 02.07.2024

Details can be seen on the websites **https://sppp.rajasthan.gov.in, https://risl.rajasthan.gov.in, https://doitc.rajasthan.gov.in**. Bids are to be submitted through **https://eproc.rajasthan.gov.in**.

Raj.Samwad/C/24/371 Additional Director, DoIT&C

कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)
पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016
e-mail defjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक-एफ()FCA/उवसंजउ/2023-24/10113-14 दिनांक-22.09.2023

निमित्त,

सहायक अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उपखण्ड-अमरसर (जयपुर)

विषय-Diversion of 1.4445 ha. of forest land in favour of Public Works Department. Shahpura, Jaipur, Construction of Road widening & Strengthening of Manoharpur to Itwa Bhopji Via Nawalpura Charanwas (MDR-187) Proposal. No. FP/RJ/ROAD/35096/2018.

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर (उप क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर) के द्वारा Online Proposal No.- FP/RJ/ROAD/35096/2018 में दिनांक 28.08.2023 के द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति (संलग्न) के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रस्ताव "Diversion of 1.4445 ha. of forest land in favour of Public Works Department. Shahpura, Jaipur, Construction of Road widening & Strengthening of Manoharpur to Itwa Bhopji Via Nawalpura Charanwas (MDR-187) Proposal No. FP/RJ/ROAD/35096/2018" में 1.4445 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गयी थी। जिसके क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर (उप क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर) के द्वारा Online Proposal No.- FP/RJ/ROAD/35096/2018 में दिनांक 28.08.2023 के द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गई है-

A: Conditions which needs to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department:

S.No.	Conditions
1.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 1.4445 ha. forest area to be diverted under this proposal, from the User Agency as per the orders of the Hon'able Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and revision of NPV vide Ministry letter No. 5-3/2011-FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard.
3	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Final/Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Goverment prior to Stage-II approval.
4	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
5	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
6	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the direction of concerned Divisional Forest Officer.
7	The KML file of the area to be diverted and the CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details, before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Final/Stage-II approval, as the case may be.
8	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.

B: Conditions which needs to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Final/Stage-II approval:

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2	Forest land will be handed over to the User Agency only after required non-forest land for the project is handed over to the User Agency.
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 1.4445 ha non forest land. Khasra no. 3873/1145, Village-Bishangarh, Tehsil Shahpura, District Jaipur of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
4	User agency shall restrict the felling of trees to 68 trees/minimum numbers in the diverted forest land a the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
5	The User Agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC Norms.
6	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.
7	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused.
8	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
9	The layout plan of the proposal shall be not be changed without prior approval of Central Government.
10	No labour camp shall be established on the forest land.
11	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
12	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
13	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
14	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of loase to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
15	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
16	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
17	The User Agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government and Integrated Regional Office, Jaipur by the end of March every year.
18	The User Agency shall comply with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines. Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any for the time being in force. as applicable to the project.
19	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
20	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
21	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act.

1980 The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated us Sub Regional Office, Jaipur Transfer of forest land shall not be effected till final approval is granted by the Central Government in this regard..

Further, it may also be noted that this In-principle/Stage-1 approval shall be valid for a period of 5 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after five (05) years.

अतः उक्तानुसार दी गयी शर्तों की पूर्ति करते हुये निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी एन.पी.वी. की राशि, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA DFL) एवं 10 वर्षों तक रखरखाव की राशि व रोड साईड वृक्षारोपण एवं वन्यजीवों के संरक्षण हेतु राशि कमशः (13,83,513.00+13,45,000.00+49,20,000)=76,48,513.00/- अक्षरे छियत्तर लाख अडतालीस हजार पांच सो तेरह रूपये मात्र "प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण" के तदर्थ निकाय के वेवपॉर्टल द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा कराने के उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धन राशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाये। ताकि आवश्यक एवं अठिाम कार्यवाही की जा सके।

क्र. सं.	राशि लिये जाने का विवरण	प्रत्यावर्तित वन भूमि (है.)	एन.पी.वी. की दर (रूपये)	राशि (रूपये)
1	एन.पी.वी.	1.4445	9,57,780.00	13,83,513.21
2	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA DFL) एवं 10 वर्षों तक रखरखाव	-	-	13,45,000.00
3	रोड साईट वृक्षारोपण एवं वन्यजीवों के संरक्षण हेतु राशि	-	-	49,20,000.00
			Total	76,48,513.21
			Or Say	76,48,513.00

इसके अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012-एफसी दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय दिनांक 7.11.12 की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंठोजी) में प्रकाशित कराकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ भिजवाये। तथा आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नही हो जाती है, तब तक प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नही किया जावें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

(मनफूल बिश्नोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

DIPR/C/4006/2024

जयपुर विकास प्राधिकरण
इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक : जविप्रा/अधि.अभि.एवं त.स.नि.अ.-I/2024-25/डी-33 दिनांक : 07.06.2024

बिड आमंत्रण सूचना

बिड संख्या – अ.अ. एवं त.स.नि.अ.–I/01/2024–25

जविप्रा द्वारा निम्नलिखित कार्यो के लिए निविदा आमंत्रित की जाती हैं :

क्र. सं.	यूबीएन नं.	कार्य राशि (लाखों में)	कार्य की प्रकृति	अन्तिम तिथि
1	JDA2324WSOB00796	29.88	विद्युत	27.03.2024
2	JDA2425WSOB00002	21.22	विद्युत	19.06.2024
3	JDA2425WSOB00003	83.15	विद्युत	19.06.2024
4	JDA2425WSOB00004	189.91	विद्युत	19.06.2024
5	JDA2425WSOB00005	29.68	विद्युत	19.06.2024
6	JDA2425WSOB00006	29.78	विद्युत	19.06.2024
7	JDA2425WSOB00007	30.00	उद्यान	18.06.2024
8	JDA2425WSOB00008	146.00	फूडकोर्ट	26.06.2024
9	JDA2425WSOB00009	5.52	वाहन	18.06.2024

निविदा का विस्तृत विवरण उपापन पोर्टल www.sppp.raj.nic.in, www.eproc.rajasthan.gov.in एवं जविप्रा की वेबसाईट www.jda.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

राज.संवाद/सी/24/366 अधि.अभि. एवं तक. सहा.निदे.अभि.-प्रथम